



मूल वाद मेंडिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा  
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 315 / 2021

गुलाबी देवी पत्नी स्व. काशीराम जाति मेघवाल साकिन 51 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

वादिया

बनाम

1. लिछमा पत्नी स्व. आदु राम जाति मेघवाल साकिन मघेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान । (नाम कलमजन)
2. राजू पुत्र स्व. आदु राम जाति मेघवाल साकिन मघेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
3. दोलतराम पुत्र स्व. आदु राम जाति मेघवाल साकिन मघेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
4. विमला पत्नी राजू जाति मेघवाल साकिन भगर खेड़ा तहसील अबोहर जिला फालिज्का
5. कैलाश पत्नी औमप्रकाश जाति मेघवाल साकिन भगर खेड़ा तहसील अबोहर जिला फालिज्का
6. पाना देवी पत्नी मेदाराम जाति मेघवाल साकिन भगर खेड़ा तहसील अबोहर जिला फालिज्का
7. किशतुरी पुत्री स्व. दुदाराम पत्नी रामेश्वर लाल जाति मेघवाल साकिन भगवानगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
8. रामप्यारी देवी पुत्री स्व. दुदाराम पत्नी नत्थूराम जाति मेघवाल साकिन रावला तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर
9. रेशमी देवी पुत्री स्व. दुदाराम पत्नी सुरजाराम जाति मेघवाल साकिन चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
10. रेशमा पुत्री स्व. दुदाराम पत्नी कृपालराम जाति मेघवाल साकिन वार्ड न. 11 धर्मनगरी अबोहर तहसील अबोहर जिला फालिज्का ।
11. शान्ति पुत्री स्व. दुदाराम पत्नी मुखराम जाति मेघवाल साकिन 24 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
12. बरजी पुत्री स्व. दुदाराम पत्नी मूलचन्द जाति मेघवाल साकिन 3 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
13. बुदवन्ती पुत्री स्व. दुदाराम पत्नी देवीलाल जाति मेघवाल साकिन 3 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
14. रमेश पुत्र स्व. मनीराम जाति मेघवाल साकिन चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
15. सुलेखा पूत्री स्व. मनीराम जाति मेघवाल साकिन चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
16. विधा पुत्री स्व. मनीराम जाति मेघवाल साकिन चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
17. सुनिता पुत्री स्व. मनीराम जाति मेघवाल साकिन चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
18. विमला पत्नी सुरेन्द्र पुत्र स्व. मनीराम जाति मेघवाल साकिन चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
19. अनिल कुमार पुत्र स्व. सुरेन्द्र जाति मेघवाल साकिन चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

सहायक कलक्टर एवम्  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



20. राजेन्द्र पुत्र स्व. सुरेन्द्र पुत्र स्व. मनीराम जाति मेघवाल साकिन चाहूवाली तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
21. कैलाश पुत्री स्व. सुरेन्द्र पुत्र स्व. मनीराम जाति मेघवाल साकिन चाहूवाली तहसील हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
22. सतपाल पुत्र स्व. बनवारी लाल जाति मेघवाल साकिन भगरखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
23. बलराम पुत्र स्व. बनवारी लाल जाति मेघवाल साकिन भगरखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
24. निर्मला पुत्री स्व. बनवारी लाल जाति मेघवाल साकिन भगरखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
25. सुमन पुत्री स्व. बनवारी लाल जाति मेघवाल साकिन भगरखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ।

प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा  
डिक्री**

दिनांक :- 04/04/2025

वादीगण की ओर से श्री चैन सिंह अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 25 की ओर से श्री सदाम हुसैन अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि -

चक नं.	पत्थर नं.	किला नं.
8 बीएलडब्ल्यू	48/242(37)	1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2, 4/1,4/2,5/1,5/2,6 25 की कुल 6.3250 हैक्.
	49/242	1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2, 4/1,4/2,5/1,5/2,6 25 की कुल 6.3250 हैक 12.6500 हैक

कुल रकबा में दुदाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादिया को 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। दुदाराम का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 04/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा)